रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3255] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 2017/अग्रहायण 1, 1939
No. 3255] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 2017/AGRAHAYANA 1, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवंबर, 2017

का.आ. 3709(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1973 (अ), तारीख 3 जून, 2016, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 3 जून, 2016, को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में किन्हीं व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और 5.26 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ;

और, यह अभयारण्य वनस्पति और जीवजंतु के समृध्द जैविक महत्त्व का द्योतक है, जो कि बनबिलाव (*फेलिस चौस*), नेवला (*हर्पेस्टिस एडवडर्सी*), सियार या गिदड (*कैनिस ऑरियस*), लोमड़ी (*वल्प्स वल्प्स*), बीजजू (*मेलिवोरा कैपेंसिस*), गिलहरी (*फ़नामबुलस पेनेंटी*), साही (*हाइरिट्रिक्स इंडिका*), खरगोश (*लेपस निग्रिकोलिस*), नीलगाय (*बोसेलफस ट्रागोकैमेलस*), बंदर (*मकाका मुलाटा*), मूसा (*मुस बोदुगा*), चुहा (*रत्तुस रत्तुस*) इत्यादि, है। और समन पक्षी अभयारण्य में पक्षी प्रजातियों की भरपूर बृहत संख्या भी है, जैसे- ब्लैक पटिज (*फ्रैंकोलिनस फ्रैंकोलिनस*), ग्रे फ्रैंकोलिन (*फ्रैंकोलिनस पॉडिसेरियन्स*), रेन क्वायल (*कॉटननिक्स कोरोमेन्डेलिका*), ग्रे क्वायेल

(*कॉटननिक्स कॉटननिक्स*) ग्रेलेग गुज़ (*एन्सर एन्सर*), बाहेडड गुज़ (*एन्सर इंडिकस*), रूडी शेल्डक (*टेडोरना फेरगिनी*), कॉम्ब बत्तख (*सीरसिडीओनिस मेलेनोटोस*), लेसर व्हिस्टलिंग हंसक (*डेंड्रॉसीन जावानिका*), पिंटेल (*अनास अकुटा*), कॉमन टील (*अनास क्रेक्का*), स्पॉटबिलिल्ड बत्तख (*अनास पोकिलोहिन्चा*), मल्लाद (*अनास प्लेरहिन्कोस*), गदवाल (*अनास स्ट्रीपेरा*) जंगली बत्तख (*अनास पेनेलोप*), गर्गनी (*अनास क्वार्कवादुला*), तिदारी (*अनास क्लीपेता*), रेडक्रिस्टेड पोचरर्ड (*नेटा रूफीना*), कॉमन पोचरर्ड (*अयथा फेरिना*), टुफ्टेटेड पोचरर्ड (*अयथा फुलिगुला*), व्हाइट-आइड पोचरर्ड (*अयथा नेरोका*), कॉटन टील (*नेटटापस कोरोमंडलियानस*), गोल्डन बैक्ड कठफोडवा (*दीनोपियम बंगालेंस*), लार्ज ग्रीन बारबेट (*मेगालाइमा ज़ियालनिका*), कॉपरस्मिथ (*मेगलैमा हेमसेफाला*), सामान्य ग्रे धनेश (*टोकस बिरोस्टिस*), होपो (*अपुपा एपॉप्स*), लेसर पेड कौड़िल्ला (*कैरेल रूडी*), सामान्य कौड़िल्ला (*एल्सेडो एथिस*), व्हाइटब्रास्टेड कौड़िल्ला (*हेलिसोन स्मिरेनेनसिस*), ग्रीन बी-ईटर (*मेरप्स ओरिएंटलिस*) आदि, है;

और, समन पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में समन पक्षी अभयारण्य के चारों ओर 1.75 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को समन पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन समन पक्षी अभयारण्य की सीमा से 1.75 किलोमीटर के विस्तार तक होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 6.72 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रुप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के समन पक्षी अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध II क और उपाबंध II ख** में दिया गया है और समन पक्षी अभयारण्य की सीमा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III सारणी 'क' और सारणी 'ख'** में क्रमशः दी गई है।

(4) समन पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** में दी गई है ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इसमें दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए उक्त राजय सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति में जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) उक्त योजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित

विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिका;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि;

(viii) उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित तब तक नहीं करेगी जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों के सुधार में के अधिक तक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूल कारगर होगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन समर्थक मानचित्रों के साथ करेगी और यह योजना मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरे देते हुए मानचित्रों द्वारा समर्थित होगी ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा 4 की सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को भी सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-विस्तारी होगी।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे पारिस्थितिकी अनुकूल स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके ।

(10) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने का पालन करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय काम्पलैक्स या औद्योगिक क्रियाकलापों

के लिए उपयोग किया जाएगा या उनमें संपरिवर्तन किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने और क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, जैसे:

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी सुविधाओं और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुख-सुविधाएं सम्मिलित हैं; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप जो पैरा 4 में दी गई है:-

परंतु यह और कि किसी जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों के अनुपालन के बिना, या तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक की जाएगी और उक्त त्रुटि के ठीक किए जाने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को ठीक करना इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भूमि-उपयोग में परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी वनीकरण और आवास पुनरुद्धार क्रियाकलाप वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे इन क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं, को प्रतिषिद्ध किया जा सके ।

(3) **पर्यटन** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पर्यटन आंचलिक महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) समन पक्षी अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

परन्तु यह कि, उक्त वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी तथा उनकी परिरक्षा और संरक्षा के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के रुप में तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का समय समय पर यथासंशोधित पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार पालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण समय-समय यथासंशोधित वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण तत्वों के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगाः-

क. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के अनुसार किया जाएगा ; और अकार्बनिक सामग्री का

निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

ख. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ठोस अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई प्रोद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप होगी।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगाः—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंध (ईएसएम) पहचान की गई प्रोद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप की जा सकेगी।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट**:- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन का यानीय संचलन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन, उदाहरण के लिए सी एन जी आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16)**औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर ऐसे क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाता है जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव की एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.–

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों जिसके अंतर्गत तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां जिसके अंतर्गत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) तथा उनमें किए गए संशोधन भी हैं, द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खन्न, उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान (लघु और वृहत खनिज), पत्थर का खनन करने वाली और उनको तोड़ने वाली इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिनमें निजी उपयोग के लिए मकानों के सनिर्माण या उनकी मरम्मत के लिए धरती की खुदाई और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों या ईंटों का विनिर्माण करना भी सम्मिलित है, को पूरा करने के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में माननी. उच्चतम न्यायालय आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार की जाएगी ।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि, आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	(क) कोई नया उद्योग या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अनुमति नहीं दी जाएगी। (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योग अनुज्ञात किए जाएंगे, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों

		को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	विनियमित क्रियाकलाप	
9.	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापन।	पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए, संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक ही, जो भी निकट हो, कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे अन्यथा नहीं। परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथालागू पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: (ख) परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) अवसंरचना और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन जिस में ग्रह वास भी है, सहायक

		हो; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलाप : (ग) परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (घ) एक किलोमीटर से परे इसे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
11.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई से संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	लघु चारा संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
15.	प्रवासी चारागाही।	आंचलिक महायोजना और लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संन्निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण के उपाय किए जाएंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	जब तक आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात न किया जाए तब तक 1 से 10 मीटर से अधीक के ढलानों वाली पहाड़ी पर और किसी नदी के 100 मीटर तक के तटों और प्राकृतिक नाले पर संनिर्माण क्रियाकलाप तब तक नही किया जाएगा जब तक कोई प्राकृतिक नाले अन्यथा अनुज्ञात न हो।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

20.	फर्मों, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे तथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्रावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
22.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे और संबंधित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण के उपायों के साथ किए जाएंगे ।
30.	विद्युत लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (भूमिगत केबलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा) और पारिस्थितिकी संवेदी जोन से गुजरने वाली सभी मौजूदा विद्युत लाइनों को क्षेत्रीय महायोजना के अधीन प्रदान की गई समय सीमा में पर्याप्त रूप से पृथक किया जाएगा।
31.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वन्यजीव के अबाध संचलन को अनुज्ञात करने के लिए होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापनों को कांटेदार तार से उनकी संपत्तियों की बाड़ नहीं लगाई जाएगी और कोई भी बाड़ एक मीटर से अधिक की नहीं होगी । इस अनुबंध का अनुपालन न करने वाली किसी विद्यमान बाड़ को आंचलिक महायोजना में उल्लिखित समय सीमाओं के अनुसार उपांतरित किया जाएगा)।
संवर्धित क्रियाकलाप		
32.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी उद्योग, जल कृषि और मत्स्य पालन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

33.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	बागवानी और जड़ी बूटी का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पारिस्थितिकी-अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	निम्नीकृत भूमि/वन/आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति - (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) संबद्ध कलेक्टर - अध्यक्ष

(ii) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(iii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का एक वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

(iv) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;

(v) लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी का प्रतिनिधि- सदस्य;

(vi) सिंचाई विभाग, मैनपुरी का प्रतिनिधि- सदस्य ;

(vii) संबद्ध प्रभागीय वन अधिकारी, राज्यक्षेत्रीय – सदस्य सचिव ।

6. निर्देश निबंधन.-

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन किए जाने तक के लिए होगा और बाद में मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. सुप्रीम कोर्ट, आदि आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/01/2016-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाएं निम्न रूप से है: –

उत्तर – उत्तरी सीमा से मैनपुरी जिला के किश्नी और करहल शहर पीडब्लयूडी सड़क से जुड़ती है।

दक्षिण – दक्षिणी सीमा मैनपुरी जिला के समन ग्राम के राजस्व भूमि और इटावा जिला के खरखई थेलो ग्राम की बाहरी परिधि बनाती है।

पूर्व – समन ग्राम खसरा प्लॉट संख्या 5353/35, 36,60 और खसरा प्लॉट संख्या 54, 29, 3031, 38, 40, 41, 5468, 69, 76, 77, 81, 82 और खसरा प्लॉट संख्या 5158 और खसरा प्लॉट संख्या 5203/4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 17 और 5069/4 और 5 पूर्व पश्चिम रेखिक सीमा बनाती है जो कि मुख्य सड़क से पुनः जाती है। समन ग्राम खसरा प्लॉट संख्या 4290, 4291 करहल-किश्नी पीडब्लयूडी सड़क से अभयारण्य के पूर्वी किनारे से जुड़ती है।

पश्चिम – पश्चिमी सीमा मैनपुरी जिला, तहसील भोगांव के समन ग्राम के राजस्व भूमि और मैनपुरी जिला, तहसील करहल के खोज मौजा ग्राम की बाहरी परिधि बनाती है।

उपाबंध-।।क

समन पक्षी अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा और मुख्य अवस्थानों को दर्शाने वाला गूगल मानचित्र

उपाबंध-II ख

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और समन पक्षी अभयारण्य का मानचित्र

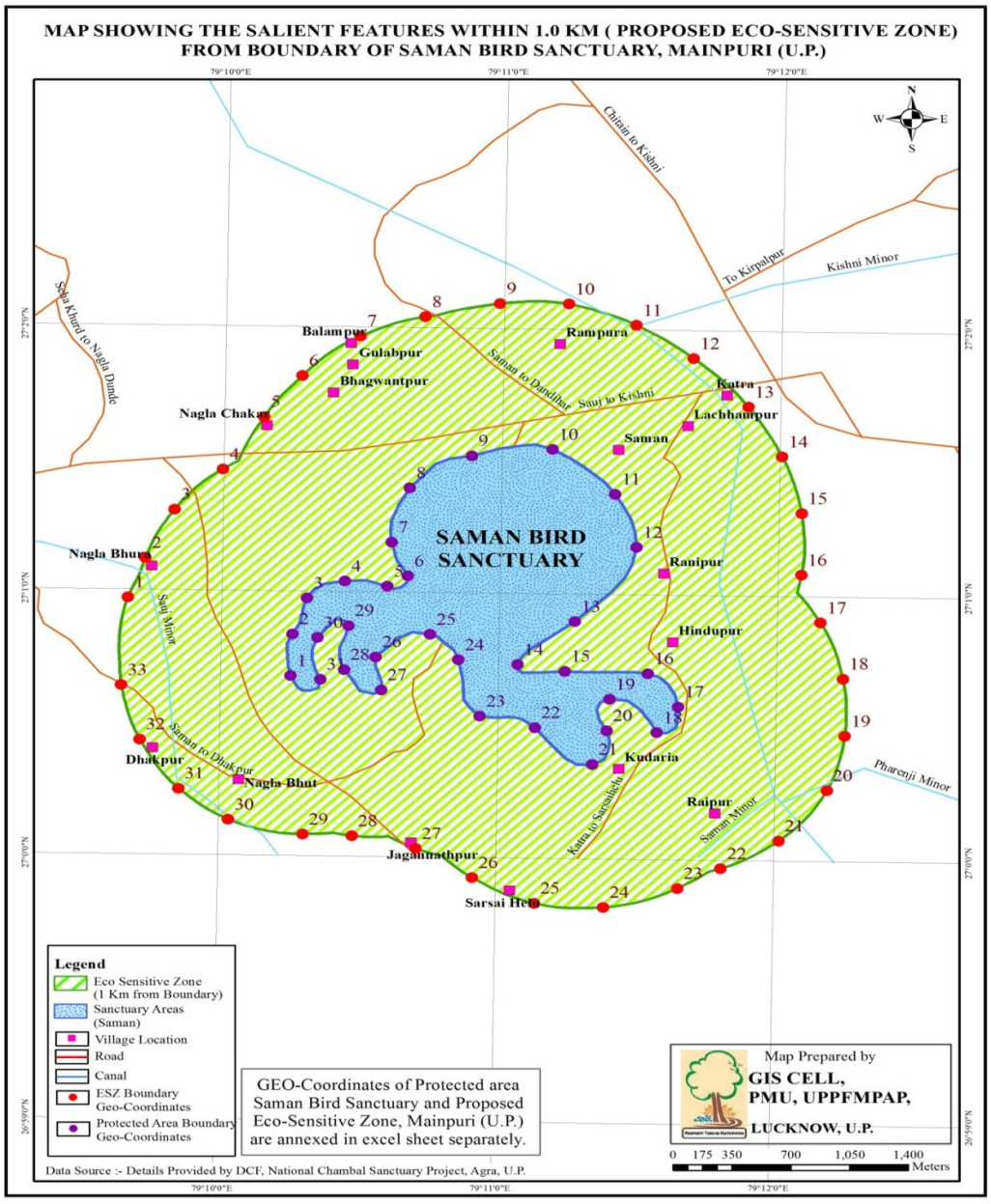

उपाबंध III

सारणी क: समन पक्षी अभयारण्य की सीमा के दर्शाये गये मानचित्र में अक्षांश-देशांतर के मुख्य अवस्थानों के साथ भू-निर्देशांको की सूची

1	नई पारिस्थितिकी समन उद्यान	27° 1' 24.200" **उ**	79° 11' 22.400" **पू**
2	नई थीम बेस गेट	27° 1' 38.400" **उ**	79° 10' 59.070" **पू**
3	भौदा की पुलिया ग्राम	27 ° 1' 10.200" **उ**	79° 9' 51.500" **पू**
4	ग्राम हिन्दुपुरा	27° 0' 46.700" **उ**	79° 11' 27.300" **पू**
5	ग्राम हिन्दुपुरा सन्मुख डेट वृक्ष	27° 0' 58.300" **उ**	79° 11' 25.100" **पू**
6	सन्मुख मंदिर	27° 1' 24.300" **उ**	79° 11' 22.400" **पू**
7	समन ग्राम	27° 1' 33.300" **उ**	79° 11' 13.600" **पू**
8	नाला	27° 1' 37.800" **उ**	79° 10' 53.900" **पू**
9	गुलाबपुर टॉवर	27° 1' 34.000" **उ**	79° 10' 32.100" **पू**
10	गुलाबपुर टॉवर से आगे	27° 1' 31.900" **उ**	79° 10' 15.600" **पू**
11	सेह नाला से पहले	27° 1' 30.300" **उ**	79° 10' 0.700" **पू**
12	सेह नाला	27° 1' 29.200" **उ**	79° 9' 48.400" **पू**
13	भौदा पुलिया	27° 1' 9.100" **उ**	79° 9' 51.600" **पू**
14	भौदा ग्राम सड़क	27° 1' 1.500" **उ**	79° 9' 50.400" **पू**
15	भौदा ग्राम फार्म	27° 0' 56.400" **उ**	79° 9' 50.200" **पू**
16	भौदा ग्राम फार्म	27° 0' 49.800" **उ**	79° 9' 51.900" **पू**
17	ग्राम भौदा	27° 0' 42.400" **उ**	79° 9' 54.900" **पू**
18	भूथ का नगला फार्म	27° 0' 37.000" **उ**	79° 10' 5.600" **पू**
19	भूथ का नगला फार्म	27° 0' 35.500" **उ**	79° 10' 10.600" **पू**
20	भूथ का नगला फार्म	27° 0' 32.500" **उ**	79° 10' 15.300" **पू**
21	भूथ का नगला फार्म	27° 0' 30.800" **उ**	79° 10' 15.700" **पू**
22	भूथ का नगला फार्म	27° 0' 25.800" **उ**	79° 10' 20.700" **पू**
23	मैनपुरी सीमा-जिला इटावा	27° 0' 22.200" **उ**	79° 10' 26.700" **पू**
24	मैनपुरी सीमा-जिला इटावा	27° 0' 25.500" **उ**	79° 10' 32.300" **पू**
25	मैनपुरी सीमा-जिला इटावा	27° 0' 25.200" **उ**	79° 10' 40.000" **पू**
26	कुदरिया गोदर	27° 0' 24.400" **उ**	79° 10' 50.000" **पू**
27	कुदरिया गोदर	27° 0' 20.700" **उ**	79° 11' 1.000" **पू**

28	ग्राम कुदरिया	27° 0' 26.100" **उ**	79° 11' 20.300" **पू**
29	हिन्दुपुरा	27° 0' 47.500" **उ**	79° 11' 28.600" **पू**
30	हिन्दुपुरा सड़क	27° 0' 51.900" **उ**	79° 11' 27.700" **पू**
31	हिन्दुपुरा सड़क	27° 1' 4.400" **उ**	79° 11' 28.800" **पू**
32	पुलिया हिन्दुपुरा	27° 1' 19.600" **उ**	79° 11' 29.400" **पू**
33	पारिस्थितिकी उद्यान गेट	27° 1' 21.700" **उ**	79° 11' 26.600" **पू**

सारणी ख: समन पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के दर्शाये गये मानचित्र में

अक्षांश-देशांतर के मुख्य अवस्थानों के साथ भू-निर्देशांको की सूची

समन पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक		
क्र. सं.	**डिग्री मिनट सेकेण्ड में निर्देशांक**	
	अक्षांश	**देशांतर**
1	27° 01' 49.5" उ	79° 11' 54.3" पू
2	27° 01' 56.7" उ	79° 11' 12.3" पू
3	27 ° 01' 51.5" उ	79°10' 44.0" पू
4	27° 01' 56.3" उ	79° 10' 27.7" पू
5	27° 01' 58.9" उ	79° 10' 07.0" पू
6	27° 01' 38.4" उ	79° 11' 40.2" पू
7	27° 01' 45.6" उ	79° 10' 23.6" पू
8	27° 01' 39.4" उ	79° 10' 01.4" पू
9	27° 01' 27.6" उ	79° 09' 17.9" पू
10	27° 01' 07.8" उ	79° 11' 54.3" पू
11	27° 00' 24.1" उ	79° 09' 47.8" पू
12	27° 00' 17.1" उ	79° 10' 04.5" पू
13	26° 59' 58.6" उ	79°10' 37.4" पू
14	26° 59' 24.0" उ	79° 11' 09.1" पू
15	26° 59' 08.7" उ	79° 11' 10.1" पू
16	27° 00' 10.6" उ	79° 11' 47.4" पू
17	27° 01' 04.9" उ	79° 11' 33.5" पू
18	27° 01' 21.5" उ	79° 07' 32.6" पू

उपाबंध IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	भू-निर्देशांक
1	समन	उ 27° 01· 21.5· · · — पू 079° 07· 32.6· ·
2	लक्ष्मीपुर	उ 27° 01· 38.4· · · — पू 079° 11· 40.2· ·
3	कटरा	उ 27° 01· 49.5· · · — पू 079° 11· 54.3· ·
4	रामपुरा	उ 27° 01· 56.7· · · — पू 079° 11· 12.3· ·
5	गुलाबपुर	उ 27° 01· 51.5· · · — पू 079° 10· 27.7· ·
6	बल्लमपुरा	उ 27° 01· 56.3· · · — पू 079° 10· 27.2· ·
7	बमनीपुर	उ 27° 01· 58.9· · · — पू 079° 10· 7.00· ·
8	बहगवतपुर	उ 27° 01· 45.06· · · — पू 079° 10· 23.6· ·
9	नगला चकर	उ 27° 01· 39.4· · · — पू 079° 10· 01.4· ·
10	सेहा	उ 27° 01· 27.6· · · — पू 079° 09· 17.9· ·
11	भोरा	उ 27° 01· 7.8· · · — पू 079° 09· 32.5· ·
12	धकनपुरा	उ 27° 00· 24.1· · · — पू 079° 09· 45.8· ·
13	नगला भूत	उ 27° 00· 17.1· · · — पू 079° 10· 4.5· ·
14	जगन्नाथ पुरा	उ 26° 59· 58.6· · · — पू 079° 10· 37.4· ·
15	सरसाई हेलू	उ 26° 59· 44.3· · · — पू 079° 10· 49.7· ·
16	गोपालपुरा	उ 26° 59· 24.0· · · — पू 079° 11· 9.1· ·
17	शादीपुरा	उ 26° 59· 8.7· · · — पू 079° 11· 10.1· ·
18	रायपुरा	उ 27° 00· 10.6· · · — पू 079° 11· 47.4· ·
19	कुदरिया	उ 27° 00· 20.5· · · — पू 079° 11· 26.5· ·
20	हिन्दुपुर	उ 27° 00· 49.3· · · — पू 079° 11· 37.7· ·
21	रानीपुर	उ 27° 01· 4.9· · · — पू 079° 11· 35.5· ·

उपाबंध IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2017

S.O. 3709(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O.1973 (E), dated the 3rd June, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 3rd June, 2016;

AND WHEAREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Saman Bird Sanctuary is located in Mainpuri District, in the State of Uttar Pradesh and covers an area of 5.26 square kilometers;

AND WHEREAS, the flora and fauna represent rich biological significance of the Saman Bird Sanctuary which is habitat of Van Bilao (*Felis chaus*), Nevala (*Herpestes edwardsi*), Siyar or Gidar (*Canis aureus*), Lomari (*Vulpes vulpes*), Bijju (*Mellivora capensis*), Gilahri (*Funambulus pennanti*), Sehi (*Hystrix indica*), Khargosh (*Lepus nigricollis*), Nilgai (*Boselaphus tragocamelus*), Bandar (*Macaca mulatta*), Musa (*Mus booduga*), Chooha (*Rattus rattus*) etc., and the said bird sanctuary is also rich in large number of bird species such as Black Partidge (*Francolinus francolinus*), Grey Francolin (*Francolinus pondicerianus*), Rain Quail (Coturnix coromendelica), Grey Quail (*Coturnix coturnix*) Greylag Goose (*Anser anser*), Barheaded Goose (*Anser indicus*), Ruddy Shelduck (*Tadorna ferruginea*), Comb Duck (*Sarkidiornis melanotos*), Lesser Whistling Teal (*Dendrocygna javanica*), Pintail (*Anas acuta*), Common Teal (*Anas Crecca*), Spotbilled Duck (*Anas peocilorhyncha*), Mallad (*Anas playrhynchos*), Gadwall (*Anas strepera*), Wigeon (*Anas penelope*), Garganey (*Anas querquedula*), Shoveler (*Anas clypeata*), Redcrested Pochard (*Netta rufina*), Common Pochard (*Aythya ferina*), Tufted Pochard (*Aythya fuligula*), White-eyed Pochard (*Aythya nyroca*), Cotton Teal (*Nettapus coromandelianus*), Golden Backed woodpecker (*Dinopium benghalense*), Large Green Barbet (*Megalaima zeylanica*), Coppersmith (*Megalaima haemacephala*), Common Grey Hornbill (*Tockus birostris*), Hoopoe (*Upupa epops*), Lesser

Pied Kingfisher (*Ceryle rudis*), Common Kingfisher (*Alcedo atthis*), Whitebreasted Kingfisher (*Halcyon smyrnenensis*), Green Bee-eater (*Merops Orientalis*) etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Saman Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 1.75 kilometers around the boundary of Saman Bird Sanctuary in the State of Uttar Pradesh as the Saman Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent varying up to 1.75 kilometers from the boundary of the Saman Bird Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 6.72 square kilometres.

   (2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-I.

   (3) The map of the Saman Wildlife Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure-IIA and Annexure -IIB** and the list of geo co-ordinates of the boundary of the Saman Wildlife Sanctuary and Eco sensitive Zone are at **Annexure III Table A and Table B** respectively.

   (4) The list of villages falling in Eco-sensitive Zone of Saman Bird Sanctuary is given in **Annexure-IV**.

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this and the said plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government .

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

   (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said Plan, namely:-

      (i) Environment;

      (ii) Forest;

      (iii) Urban Development;

      (iv) Tourism;

      (v) Municipal;

      (vi) Revenue;

      (vii) Agriculture;

      (viii) Uttar Pradesh State Pollution Control Board;

      (ix) Irrigation; and

      (x) Public Works Department.

   (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

   (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

   (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. – Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities and given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such a forest area and agriculture area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometer from the boundary of the Saman Bird Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the said Bird Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder, as amended from time to time.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

a. the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

b. Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management. - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management. - The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(16) Industrial Units. –

(i) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.

(17) Protection of hill slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Table

Sl. No.	**Activity**	**Remarks**
(1)	(2)	(3)
	Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification, in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

6.	Setting up of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (d) Beyond one kilometre it shall be regulated as

		per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b)The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Collection of small fodder.	Regulated under applicable laws.
15.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and applicable guidelines.
17.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river and natural nallah.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Regulated under applicable laws.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
23.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage	Regulated under applicable laws and the activity shall be monitored by the concerned authority.
24.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.

28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
29.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and applicable guidelines.
30.	Erection of electric lines and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling shall be promoted) and all existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame provided under the Zonal Master Plan.
31.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws (In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter and any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan).
Promoted Activities		
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
38.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted
40.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
41.	Skill development.	Shall be actively promoted.
42.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
43	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(i)	Concerned Collector	Chairman;
(ii)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Uttar Pradesh for a period of one year.	Member;
(iii)	One representatives of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of Uttar Pradesh for a period of one year.	Member;
(iv)	Regional Officer, Uttar Pradesh State Pollution Control Board	Member;
(v)	Representative of Public Works Department, Mainpuri	Member;
(vi)	Representative of Irrigation Department, Mainpuri	Member;
(vii)	Concerned Divisional Forest Officer Territorial	Member Secretary.

6. Terms of Reference. – (1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government, and the subsequent Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (1986 of 29) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measurs.-The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme court, etc. orders.-The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/01/2016-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE

The boundaries of the Eco-sensitive Zone are as follows: –

North – The PWD road connecting Kishni and Karhal towns of Mainpuri District form the northern boundary.

South – The southern boundary is formed by outer peripheries of revenue land of Saman village of Mainpuri District and Kharkhai thelo village of Etawah District

East – Saman village khasra plot nos. 5353/35, 36,60 and khasra plots nos. 54, 29, 3031, 38, 40, 41, 5468, 69, 76, 77, 81, 82 and khasra plot no. 5158 and khasra plot nos. 5203/4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 17 and 5069/4 and 5 form the east-west linear boundary, which continues up to the main road. Saman village khasra plot nos. 4290, 4291 connect eastern edge of the Sanctuary to Karhal-Kishni PWD road.

West – The western boundary is formed by outer peripheries of revenue land of Saman village of Tehsil Bhogaon, District Mainpuri and Khoj Mauja village of Tehsil Karhal, District Mainpuri.

ANNEXURE-II A

GOOGLE MAP SHOWING BOUNDARY OF THE PROTECTED AREA AND PROMINENT LOCATIONS OF SAMAN BIRD SANCTUARY

ANNEXURE-II B

MAP OF SAMAN BIRD SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDES AND LONGITUDES

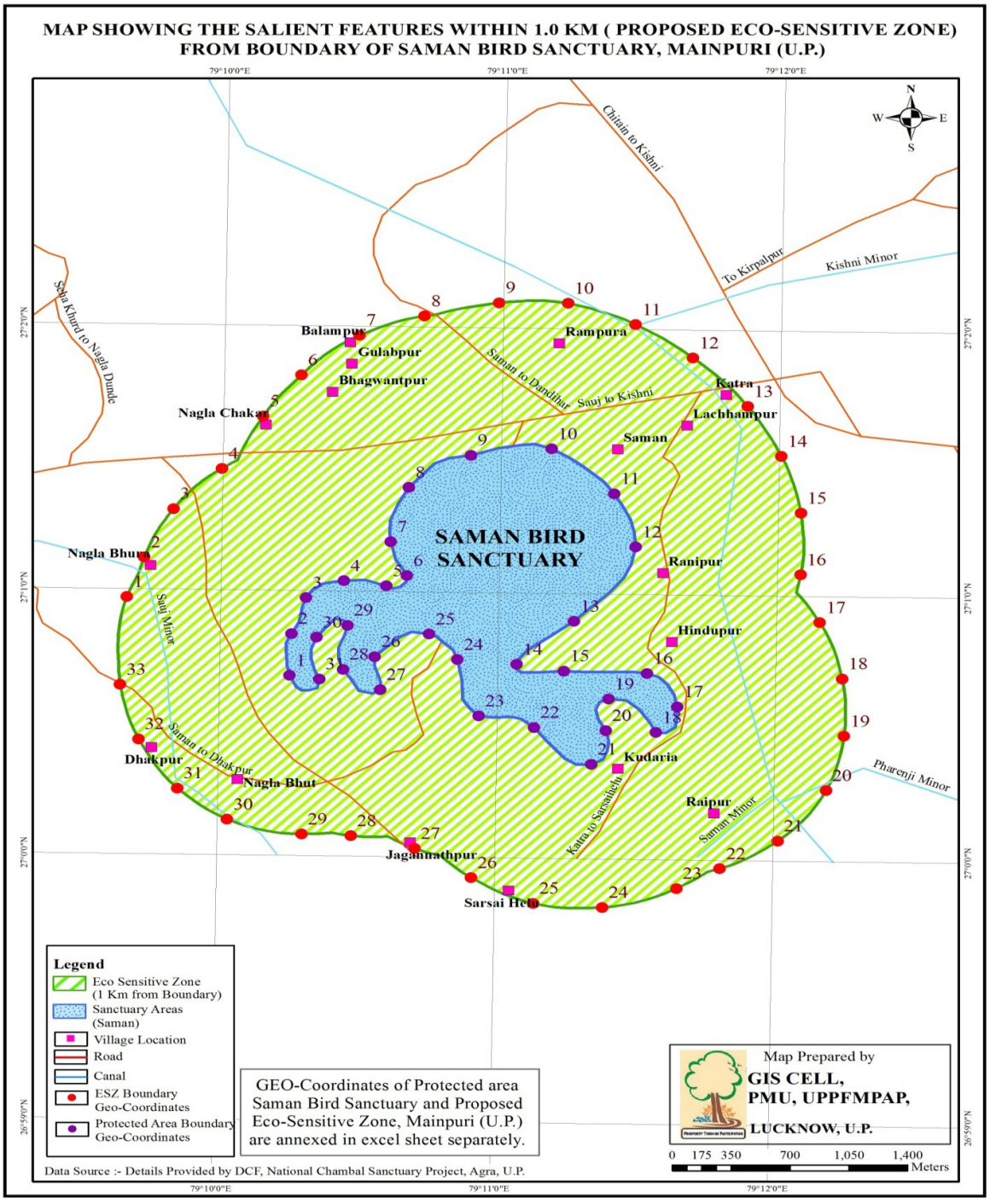

ANNEXURE-III

Table A: Latitude-Longitude of Prominent Locations along the boundary of the Saman Bird Sanctuary shown on Map

1	New Eco Park Saman	27° 1' 24.200" N	79° 11' 22.400" E
2	New Theme Base Gate	27° 1' 38.400" N	79° 10' 59.070" E
3	Village Bhauda ki Puliya	27 ° 1' 10.200" N	79° 9' 51.500" E
4	Village Hindupura	27° 0' 46.700" N	79° 11' 27.300" E
5	Village Hindupura Opposite Date Tree	27° 0' 58.300" N	79° 11' 25.100" E
6	Opposite Mandir	27° 1' 24.300" N	79° 11' 22.400" E
7	Saman Village	27° 1' 33.300" N	79° 11' 13.600" E
8	Naala	27° 1' 37.800" N	79° 10' 53.900" E
9	Gulabpur Tower	27° 1' 34.000" N	79° 10' 32.100" E
10	Gulabpur Tower Se Aage	27° 1' 31.900" N	79° 10' 15.600" E
11	Seha Nala to before	27° 1' 30.300" N	79° 10' 0.700" E
12	Seha Naala	27° 1' 29.200" N	79° 9' 48.400" E
13	Bhauda Puliya	27° 1' 9.100" N	79° 9' 51.600" E
14	Village Bhauda Road	27° 1' 1.500" N	79° 9' 50.400" E
15	Village Bhauda Farm	27° 0' 56.400" N	79° 9' 50.200" E
16	Village Bhauda Farm	27° 0' 49.800" N	79° 9' 51.900" E
17	Village Bhauda	27° 0' 42.400" N	79° 9' 54.900" E
18	Bhooth ka Nagla Farm	27° 0' 37.000" N	79° 10' 5.600" E
19	Bhooth ka Nagla Farm	27° 0' 35.500" N	79° 10' 10.600" E
20	Bhooth ka Nagla Farm	27° 0' 32.500" N	79° 10' 15.300" E
21	Bhooth ka Nagla Farm	27° 0' 30.800" N	79° 10' 15.700" E
22	Bhooth ka Nagla Farm	27° 0' 25.800" N	79° 10' 20.700" E
23	Mainpuri Boundary-Distt. Etawah	27° 0' 22.200" N	79° 10' 26.700" E
24	Mainpuri Boundary-Distt. Etawah	27° 0' 25.500" N	79° 10' 32.300" E
25	Mainpuri Boundary-Distt. Etawah	27° 0' 25.200" N	79° 10' 40.000" E
26	Kudariya Godar	27° 0' 24.400" N	79° 10' 50.000" E
27	Kudariya Godar	27° 0' 20.700" N	79° 11' 1.000" E
28	Village Kudariya	27° 0' 26.100" N	79° 11' 20.300" E
29	Hindupura	27° 0' 47.500" N	79° 11' 28.600" E
30	Hindupura Road	27° 0' 51.900" N	79° 11' 27.700" E
31	Hindupura Road	27° 1' 4.400" N	79° 11' 28.800" E
32	Puliya Hindupura	27° 1' 19.600" N	79° 11' 29.400" E
33	Eco Park Gate	27° 1' 21.700" N	79° 11' 26.600" E

Table B: Latitude-Longitude of Prominent Locations along the boundary of Eco-sensitive Zone of Saman Bird Sanctuary shown on Map

SAMAN_BIRD_SANCTUARY_ESZ_COORDINATES		
S. No.	**Coordinates in DMS**	
	Lat	**Long**
1	27° 01' 49.5" N	79° 11' 54.3" E
2	27° 01' 56.7" N	79° 11' 12.3" E
3	27 ° 01' 51.5" N	79°10' 44.0" E

4	27° 01' 56.3" N	79° 10' 27.7" E
5	27° 01' 58.9" N	79° 10' 07.0" E
6	27° 01' 38.4" N	79° 11' 40.2" E
7	27° 01' 45.6" N	79° 10' 23.6" E
8	27° 01' 39.4" N	79° 10' 01.4" E
9	27° 01' 27.6" N	79° 09' 17.9" E
10	27° 01' 07.8" N	79° 11' 54.3" E
11	27° 00' 24.1" N	79° 09' 47.8" E
12	27° 00' 17.1" N	79° 10' 04.5" E
13	26° 59' 58.6" N	79°10' 37.4" E
14	26° 59' 24.0" N	79° 11' 09.1" E
15	26° 59' 08.7" N	79° 11' 10.1" E
16	27° 00' 10.6" N	79° 11' 47.4" E
17	27° 01' 04.9" N	79° 11' 33.5" E
18	27° 01' 21.5" N	79° 07' 32.6" E

ANNEXURE - IV

LIST OF VILLAGES FALLING IN ECO SENSITIVE ZONE

Sl. No.	**Village name**	**Geo-coordinates**
1	SAMAN	N 27° 01’ 21.5’’— E 079° 07’ 32.6’’
2	LAKCHHMIPUR	N 27° 01’ 38.4’’— E 079° 11’ 40.2’’
3	KATRA	N 27° 01’ 49.5’’— E 079° 11’ 54.3’’
4	RAMPURA	N 27° 01’ 56.7’’— E 079° 11’ 12.3’’
5	GULABUPR	N 27° 01’ 51.5’’— E 079° 10’ 27.7’’
6	BALLAMPURA	N 27° 01’ 56.3’’— E 079° 10’ 27.2’’
7	BAMNIPUR	N 27° 01’ 58.9’’— E 079° 10’ 7.00’’
8	BAHGWAT PUR	N 27° 01’ 45.06’’— E 079° 10’ 23.6’’
9	NAGLA CHAKAR	N 27° 01’ 39.4’’— E 079° 10’ 01.4’’
10	SEHA	N 27° 01’ 27.6’’— E 079° 09’ 17.9’’
11	BHORA	N 27° 01’ 7.8’’— E 079° 09’ 32.5’’
12	DHAKANPURA	N 27° 00’ 24.1’’— E 079° 09’ 45.8’’
13	NAGLA BHOOT	N 27° 00’ 17.1’’— E 079° 10’ 4.5’’
14	JAGANNATH PURA	N 26° 59’ 58.6’’— E 079° 10’ 37.4’’
15	SARSAI HELU	N 26° 59’ 44.3’’— E 079° 10’ 49.7’’

16	GOPAL PURA	N 26° 59’ 24.0’’— E 079° 11’ 9.1’’
17	SHADI PURA	N 26° 59’ 8.7’’— E 079° 11’ 10.1’’
18	RAIPURA	N 27° 00’ 10.6’’— E 079° 11’ 47.4’’
19	KUDRIYA	N 27° 00’ 20.5’’— E 079° 11’ 26.5’’
20	HINDUPUR	N 27° 00’ 49.3’’— E 079° 11’ 37.7’’
21	RANI PUR	N 27° 01’ 4.9’’— E 079° 11’ 35.5’’

ANNEXURE-V

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.11.28 11:58:33 +05'30'